

न्यायालय सब जज, कहलगॉव, भागलपुर
पीठासीन पदाधिकारी :- अमित कुमार शर्मा
दीवानी वाद संख्या 208 / 2022

23.12.2022 /

मोस0 चन्द्रकला देवी बनाम् मोस0 फुटो देवी

16.01.2023

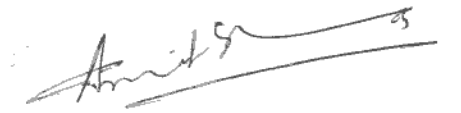
आदेश

कार्यालय से वाद अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । वादी की ओर से हाजरी दी गयी है। पुकार पर वादी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए, उनको ग्रहण के बिन्दु पर सुना।

अभिलेख व सिरिस्तेदार प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि यह वाद सही प्रारूप में विधि के अनुसार दाखिल किया गया है। वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI एवं VII के प्रावधानों के अनुसार दाखिल किया गया है। वादी द्वारा यथोचित न्यायशुल्क दाखिल कर दिया गया है। अतः वादपत्र को ग्रहण किया जाता है। वादी को यह निर्देश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर सम्मन व निबंधित सम्मन की आपेक्षिताएं न्यायालय में दाखिल करें।

वादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि निबंधित सम्मन की रसीद के साथ-साथ वो इन्टरनेट पर उपलब्ध निबंधित सम्मन की ट्रैक रिपोर्ट भी दाखिल करेंगे। ट्रैक रिपोर्ट सम्मन करने की दिनांक से एक माह तक इन्टरनेट पर उपलब्ध रहती है। कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि सम्मन की आपेक्षिताएं दाखिल होने के पश्चात प्रतिवादीगण के विरुद्ध सम्मन जारी करें। जहां तक संभव हो सम्मन प्रतिवादीगण पर व्यक्तिगत रूप से तामिल किया जाना चाहिए। अन्यथा विधिनुसार प्रतिवादीगण पर सम्मन की Substituted Service की जाय।

वाद दिनांक 27.02.2023 वास्ते सम्मन की आपेक्षिताएं व प्रतिवादीगण उपस्थिति हेतु।



अवर न्यायाधीश,
कहलगॉव